न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 60 / 2024(GCMS 2024/213)

(आरटीआई संख्या 212199823950335)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल उम्र लगभग 75 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज.)

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

<u>27.02.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2024 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, शास्ति लगाने, मानसिक / आर्थिक क्षति की राशि उसे दिलाने एवं से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.06.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी :**

1. नगर विकास [illegible] के पत्रांक 64 दिनांक 01.05.2024 में अंकित तथ[illegible] **"लोकसभा चुनाव 2014** में तत्कालीन बीएलओ सुभाष गोयल द्वारा दिनांक 05.04.2014 [illegible] दिनांक 07.04.2014 तक श्रीगंगानगर में रहकर चुनाव ड्यूटी की एवं जोधपुर के उच्च

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:50 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय में दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक निजी याचिका दायर की एवं श्री एम.आर. खन्ना तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. ने 3 दिवस का दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक का मुख्यालय छोड़ने का कूट रचित दस्तावेज कर बी.एल.ओ. को अनुमति देने पर इनके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही देने की अनुमति देने इनके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही देने की अनुमति देने पर इस बाबत आप द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र प्राप्ति की दिनांक व प्राप्त पंजिका का क्रमांक की सूचना।
4. उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
5. पत्र पर कार्यवाही करने में लगने वाले समय की सूचना व प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एसडीएम/आरटीआई/2024/706 दिनांक 09.12.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 396 दिनांक 05.07.204 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूचना का अधिकार/2024/ दिनांक 05.07.2024 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:... IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र से चाही गई सूचना का रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस कार्यालय में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर का पत्रांक 62 दिनांक 01.05.2024 प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक 396 दिनांक 05.07.2024 से उक्तानुसार जवाब दिया है कि पत्र संख्या 62 दिनांक 01.05.2024 प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि अपीलार्थी ने नगर विकास न्यास का पत्र संख्या 64 दिनांक 01.05.2024 की सूचना चाही है। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थी को जो जवाब दिया है उसमें **नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर** पत्र संख्या 62 दिनांक 01.05.2024 प्राप्त नहीं हुआ अंकित करते हुए अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र में अंकित नगर विकास न्यास के पत्रांक 64 दिनांक 01.05.2024 के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रेषित नहीं किया है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:50 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में काई जवाब नही दिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:46:50 IST
Reason: SelfAttested